

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर

// ज्ञापन //



क्रमांक A/1841 /
V-3-12/57 X

जबलपुर दिनांक...26 जून 2021.

प्रति,


श्रीमति दीपा उपाध्याय,
सहायक संपादक (आई.एल.आर.)
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,
जबलपुर।

विषय:- आपके आधिपत्य के शासकीय आवासगृह को रिक्त किये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि, आपके द्वारा नगर निगम सीमा, जबलपुर मध्यप्रदेश के अंदर निजी आवासगृह को क़य किये जाने के फलस्वरूप आपके आधिपत्य के शासकीय आवासगृह क्रमांक-“जी-408” शंकरशाह नगर रामपुर जबलपुर को दिनांक-26.07.2021 तक अनिवार्य रूप से रिक्त करते हुये रजिस्ट्री को अवगत कराया जावे।

आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि आपके आधिपत्य के शासकीय आवासगृह का किराया दिनांक-15.02.2021 से दिनांक-26.07.2021 तक रूपये-1200/-प्रतिमाह किराये की दर से मूलभूत नियम 45“बी” के अधीन वसूल किया जावेगा।


26.06.2021
(सनत कुमार कश्यप)


रजिस्ट्रार (कार्य/अंधोसरचना)

पृष्ठांकन क्रमांक...A/1842
V-3-12/57 X

जबलपुर, दिनांक...26/जून 2021.

प्रतिलिपि:-

- 1/रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस. (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2/असिस्टेंट रजिस्ट्रार (कार्य/पेंशन/स्थापना/लेखा) की सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


26.06.2021
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (कार्य/अंधोसरचना)